तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हल्का बावलास पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे श्रा. प० किया गया। बास्ते पत्रावली बहस हेतु नियत दिनांक 2.8.21 को पेश हो।
23/8/21	उपखण्ड अधिकारी / [illegible] अधिकारी राजकीय [illegible] कार्य से बा[illegible] अवकाश पर है / पदरिक्त है [illegible] अतः पत्रावली दिनांक 8.10.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
29.11.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प ग्राम पचांयत बावलास मे पेश हुई प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र मे निवेदन किया कि ग्राम बावलास पटवार हल्का बावलास त० मांडल मे स्थित स्वंय की खातेदारी आराजी नं० 1881, 1882 कुल किता 02 कुल रकबा 02 बीघा मे मेरा हक 1/ अन्य के नाम पर संयुक्त सहखातेदार हक से दर्ज है परन्तु उक्त आराजियात का विरासत से नामान्तकरण खोलते वक्त जिसमे भूलवश व त्रुटिवश मेरा नाम रामलाल अंकित कर दिया गया जब कि मेरा नाम सही नाम राधेश्याम है। मेरे सभी दस्तावेजो मे मेरा नाम राधेश्याम ही है। अतः राजस्व रेकार्ड मे रामलाल के बजाय राधेश्याम किया जाने का निवेदन किया। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार माण्डल से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया तथा पत्रावली मे सलंग्न दस्तावेज क्रमशः प्रार्थी के बैंक खाता, आधार कार्ड पेनकार्ड, राशनकार्ड एव ड्राईविंग लाईसेंस आदि की फोटो प्रति मे राधेश्याम ही अंकित है। जिससे जाहिर आया कि प्रार्थी का सही नाम राधेश्याम ही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर [illegible] का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया [illegible] कि ग्राम बावलास पटवार हल्का बावलास [illegible] स्थित खाता सं. 784 मे आराजी ख. 1881 रकबा 01 बिस्वा, [illegible] म, 1882 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 02 [illegible] रकबा 02 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम रामलाल के बजाय राधेश्याम किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मांडल राजस्व रेकार्ड मे अंकन करे। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:32:01 IST
Reason: SelfAttested